[Mr. Deputy-Speaker]

and 10 members from Rajya Sabha;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the first day of the next session;

"that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees will apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

The motion was adopted.

15.42 hrs.

DELHI LAND HOLDINGS (CEILING) BILL

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): I beg to move:

"That the Bill to provide for the imposition of a ceiling on land holdings in the Union territory of Delhi and for matters connected therewith be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 30 members; 20 from this House, namely,—Shrimati Sucheta Kripalani, Shri Radha Raman, Choudhry Brahm Perkash, Shri C. Krishnan Nair, Shri Naval Prabhakar, Shri Shivram Rango Rane, Shri K. V. Ramakrishna Reddy, Shri Bhola Nath Biswas, Shri Ramappa Balappa Bidari, Shri Surti Kistaiya, Shri K. Periaswami Gounder, Shri Daljit Singh, Shri Bhakt Darshan, Swami Ramanand Shastri, Choudhary Pratap Singh Daulta, Shri Mohan Swarup, Shri N. P. Shanmuga Gounder, Shri Atal Bihari Vajpayee, Shri N. G. Ranga and Shri B. N. Datar and 10 members from Rajya Sabha;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the first day of the next session;

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees will apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee.

My task in this respect has been lightened, because we have referred by now two Bills to a Joint Committee and in both of these Bills, we have a provision for ceilings. In Delhi, all that has been done is, instead of 25 acres, we have put in 30 standard acres. In an earlier Bill, Land Reforms (Amendment) Bill also, this standard acre was referred to. Because there were different types of land in the Delhi territory, it was considered advisable that there ought to be a standard acre taken into account. Thirty standard acres have been fixed for ceiling in this Bill so far as Delhi area is concerned. The House may also remember that in a similar Bill in Rajasthan, the ceiling

has been fixed as thirty standard acres. That is the only point on which there has been some difference in respect of this Bill. In other respects, the provisions are the same. About compensation also, you will find how it has been a graded one. I need not go into all those points. I hope that this House will be pleased to refer this Bill also to a Joint Committee.

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That the Bill to provide for the imposition of a ceiling on land holdings in the Union territory of Delhi and for matters connected therewith be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 30 members; 20 from this House, namely Shrimati Sucheta Kripalani, Shri Radha Raman, Choudhury Brahm Perkash, Shri C. Krishnan Nair, Shri Naval Prabhakar, Shri Shivram Rango Rane, Shri K. V. Ramakrishna Reddy, Shri Bhola Nath Biswas, Shri Ramappa Balappa Bidari, Shri Surti Kistaiya, Shri K. Periaswami Gounder, Shri Daljit Singh, Shri Bhakt Darshan, Swami Ramanand Shastri, Chaudhary Pratap Singh Daulta, Shri Mohan Swarup, Shri N. P. Shanmugha Gounder, Shri Atal Bihari Vajpayee, Shri N. G. Ranga, and Shri B. N. Datar and 10 members from Rajya Sabha;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the first day of the next session;

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees will apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

Shri P. R. Patel (Mehsana): I have one amendment that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by 10th February, 1960.

Mr. Deputy-Speaker: Is he going to move it?

Shri P. R. Patel: Yes, Sir. I beg to move:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 10th February, 1960.

Mr. Deputy-Speaker: There is one by Shri Mohammed Imam. He is not there. Amendment No. 6 is by Shri P. R. Patel. That is moved. There is another by Pandit Thakur Das Bhargava. He is absent. That is not moved. The original motion for reference to the Joint Committee and this one are before the House.

Shri P. R. Patel: Mr. Deputy-Speaker, I move the motion and in support of it, I beg to submit the reason why the Bill should be circulated for public opinion.

We know that the Congress has come to a decision that there should be ceiling on land at Nagpur and they are implementing it here and such types of Bills are also introduced in different States. Whatever Bill we have will be an ideal for the rest of the States.

15.48 hrs.

[SHRI BARMAN *in the Chair*]

Whatever limit is placed here will be followed by the different States to some extent. I am of opinion that this Bill affects not only the land-

[Shri P. R. Patel]

holders of Delhi, but it affects all the cultivators and landholders of the whole country, and whatever we put here in this Bill shall have effect on other Bills. For this reason, I am of opinion that the opinion of the people should be sought. After all, merely publishing the Bill in the Gazette or discussing it here or referring the Bill to a Joint Committee will not be sufficient to invite the attention of those persons who will be affected thereby. After all, vast people living in the villages know little of what is published in the Official Gazette and most of them perhaps would not be acquainted with the proceedings of this House. So, it is desirable that this Bill be circulated in such a way that the people may come to know about this and offer their opinion on this Bill.

I am strengthened also in my view by a letter that I received from the Home Ministry. By fixing the ceiling as it is proposed in this Bill, I think we shall be able to get only 1669 standard acres of land and that too as calculated in 1953-54. After 1953-54 much water has flowed under the Jumna, and there must be many changes, and I am afraid that by putting a ceiling Government will not be able to secure more than 600 or 700 acres of land for distribution to others. I think even that is not possible.

In Clause 26 of the Bill certain exemptions are given, and the first exemption is orchards. If orchards are to be exempted, naturally the acreage available will be minimised. If orchards have 50 or 100 acres, they are not to be affected. Generally orchards are owned by well-to-do or rich people getting their earnings from other sources. So, we are having a Bill which will affect the poor cultivators but not the well-to-do persons.

The second exemption refers to

"a farm in which heavy investment or permanent structural improvements have been made and which, in the opinion of the Chief Commissioner, is being so efficiently managed that its break up is likely to result in a fall in production;"

Who are the persons owning such farms?—not the common cultivators. They will be persons having a good amount of money and at the same time other sources of income, and we are going to exempt them. If these are exempted, the acreage that we may get by putting a ceiling will be much less.

Now I would like to put one question to the hon. Minister. Looking to this sub-clause, I think the Government is of the opinion that if there be large farms and greater investment, it gives more production, because it is admitted here in the sub-clause that because of the investment, because of the bigger farm, production may be very good. So, it is admitted by the Government that bigger the farm, better the production; the smaller the farm, poorer the production. If that be the case, I do not understand why Government wants to put a ceiling on holdings, because by putting a ceiling on holdings we will be making the farm smaller, and if they are well-cultivated and giving good production, why should they be interfered with? I do not understand this.

So, I can read from this one principle, that this Government, I may be excused, wants to take away properties from the poor, and they do not want to touch the properties in the hands of the well-to-do and rich people as the exemptions clearly show.

The third exemption is that if the land is used for cattle-breeding, dairy and wool-raising, the ceiling will not apply. I would like to know whether the Government desires that the cultivator should give up production of agricultural produce and take

up breeding and all these things. What is the desire of the Government? If a man takes to the profession of breeding, he is exempted; if he has a dairy on his land, he is exempted; but if he produces foodgrains, he is not exempted. So, the man who serves the country by producing foodgrains, the essential thing, is affected, and those who do not produce foodgrains are exempted. I do not under stand the philosophy of the hon. Minister moving the Bill.

Of course, there is the question of the co-operative societies and so on. I think there are so many principles involved in this Bill that it would be desirable to ask the opinion of the people at large; it would be in the interests of the country to ask the people to give their frank opinion on this ceiling and on these exemptions.

I would add one thing. These land holdings would be round about the city of Delhi, and the man living in Delhi proper may possess buildings, *raj mahals* worth lakhs and crores; a man within the city may possess property worth crores, may have an income worth lakhs and crores—no ceiling on that. He may have income by way of rent or in any other way—no ceiling on that, because it seems that the city proper, in the view of the Government, is a protected area where people should be allowed to possess any amount of wealth, and there is no distinction absolutely. The socialism that is preached in Delhi is preached by the urban people, by those who do not possess land; they want to apply the principles of socialism in the villages and the rural grave injustice done to the farmer grave injustice done to the farmer community; this is a grave injustice done to those who by their votes have put the Government in power.

My hon. friend was rather angry with Shri Ranga, but he must consider and give full thought to what I say. If at all socialism is a good thing and disparity is to be removed, it should be removed in villages, towns and cities. I would like to know why there should be disparity between an officer getting Rs. 3,000 and a poor sepoy getting Rs. 70 or Rs. 80. After all, the latter has to maintain a family of four or five persons as well as the former, he must get his needs and he is also offering his service to the nation. Why so much discrimination? Their socialism is meant not for the officers, not for the Ministers even, not for the Members of the Congress Party even, because even though they have passed the Nagpur resolution, they can possess any amount of wealth, they can have any amount of deposit in the banks, they can have any amount of jewels and gold with them.

Ch. Ranbir Singh (Rohtak): And the Opposition Members too.

Shri P. R. Patel: So, socialism is not meant for them; disparity in society should not be a concern to them. Socialism is only to be applied to the villages and the agriculturists. That is why Government are coming forward with this Bill. But Government are talking of ceiling on land holdings only and not on other holdings. Some days back, I was reading some books on China and Russia. In those countries, they first nationalised the factories and city properties. Here too, no doubt, we claim to bring in socialism in our country, but we want this socialistic principle to be applied only to the agricultural lands and to nothing else.

16 hrs.

My hon. friend Shri Ranga was right when he said that when the Imperial Bank was nationalised, the market value of the shares was paid, but when land is to be nationalised or when ceiling is to be imposed, we

[Shri P. R. Patel]

find there is no market value. There is a proverb:

"किसी की पेन, किसी की स्याही, किसी का कागज़, किसी का लखन और मस्त लगावे मेरा मदन भाई ।"

which means that whosoever's be the ink, whosoever's be the paper, and whosoever's be the pen, the credit will be taken only by Madanbhai. Here, the credit for imposing a ceiling on land-holdings is taken by those persons who are not to lose anything. I say that this is too much.

This is being done because there are no strong farmers' organisations. I would ask Shri Ranga, who is not here at the moment, that he should better devote his life to farmers' organisation rather than to other things.

Shri Braj Raj Singh (Firozabad): He has gone to *laissez-faire*. That is the difficulty.

Shri P. R. Patel: If there are strong farmers' organisations, naturally, they would take up this problem. But they are not organised; the farmers cannot speak; they are not vocal; they are scattered in villages. So, these people sitting in the cities are applying the principles of socialism to them and making them very poor. I would request the hon. Minister to give thought to this matter.

There is one other point regarding the compensation to be given. In clause 10(1), it is provided that it will be forty-five times the land revenue in respect of the first twenty-five acres of excess land. Let us even take it as forty-five times; if the land revenue assessed is Rs. 5, then forty-five times that would come to about Rs. 225; that is, Government want to pay them less; even though the cultivator may have bought this land at a higher price, even though the cultivator may have bought this land by paying Rs. 2000, yet Government would say, yes, we pay you compensation, we do not take your land without paying you anything; and a meagre compensation of Rs. 225 would be given.

I would urge the hon. Minister, if he has some faith in socialism, if his party has some faith in socialism, if the Nagpur resolution is meant to bring socialism on this earth, then let him apply this principle to one and all; let him apply this principle to the urban areas; let him say, for instance, that the value of a hundred-rupee note would be diminished to Rs. 25; let him diminish it and see the consequences.

The poor cultivators do not understand all these things. With the strength of the money of those persons in the urban areas, you buy the votes of the poor cultivators, and after having come into power with their votes, you just massacre them. I would say, you just *halal* them. I would say that that is what the Bill seeks to do. If at all compensation is to be given, give full compensation, whatever be the price. But what is proposed is only a meagre compensation. Better do not pay any compensation. I would say, take away the lands; take away everybody's lands, and then talk anything you like; take away all the properties from all the persons in our country. Why should you allow some persons to possess wealth worth crores of rupees and at the same time you want to pay less to the poor cultivators? I do not understand. So, the opinion of the people must be asked for. This is a Bill which affects one and all. The city people or the urban people may be happy over this, because this Bill does not affect them. But I would say this to them. If 80 per cent of the people of this country lose any interest in their property or their land-holdings, if they find that they are impoverished and made poorer by such Bills as this, then, do you think that they would allow the

other 20 per cent to live happily in the cities? Sir, non-violence has been preached by Gandhiji. But I warn the hon. Minister that if these principles are put into action in the villages, in ten years, there will be a bloody revolution in this country, and those 80 per cent will march over the cities and rob them all by the sword, by the revolvers and rifles. So, you are doing a thing which would harm the peace of the country. The city people must realise this also. Today, if such Bills as these are passed by sitting here, what will be the effect on the mentality of those persons living in the villages, in ten years? So, I feel that the city people also must give thought to this matter. Therefore, this Bill must be circulated, and everybody must be asked to give his or her frank opinion.

Sir, what has happened in our country? A few top persons, in the name of planning, have come to certain decisions. My hon. friend, the hon. Minister, referred to some remarks of the Planning Commission. I would like to know from him whether in the Planning Commission there was anybody who represented the agriculturists. In this country where 80 per cent of the people are agriculturists, I would like to know whether these planners have seen any village, have seen any agriculturists living in the rural areas. I say they have not. They are talking of things sitting under the fan in the cities, and they have this kind of planning for an agricultural country, about which they have got very little knowledge.

Then, there is reference to the National Development Council. Then comes the crux. I know that if in the High Command, some two, four or five persons put their heads together and come to certain conclusions, then the rest have to say, yes; and the resolutions go through. If you say that this resolution is the viewpoint of the country, I would say that you commit a great blunder and a great mistake in thinking so. And this will have a very adverse effect. I am not against ceiling.

If they put a ceiling of 30 acres or 20 acres, I would not come in their way. But I want that this justice be done to one and all. What would be the price of the 30 acres that they propose under this Bill? At the rate of 45 times the land revenue assessment, it would come to, I think—I cannot calculate exactly just now—about Rs. 1000 or Rs. 2000. Let there be a ceiling on properties of one nd all. Put Rs. 2000 as the ceiling. One cannot have a house worth more than Rs. 2000. If Government say that a farmer cannot have land worth more than Rs. 2000, let them put a similar ceiling on properties in urban areas. But that is not done.

So I wish that the Bill should be circulated; if the hon. Minister is sure that it will be supported by the people, he will be with me in getting my motion for circulation through. But I am sure he will not because he is afraid that if this Bill is circulated, he will receive opinion against the Bill and against the principles embodied in it.

I would not take more time. But I would refer to one thing, and that is the definition of 'family'. Replying to the debate on the other Bill, he gave an explanation. But I am not satisfied with it. He says that a family means the person, the wife, the dependant children and grand-children. If the mother is there, what happens? Well, here the mother is not a member of the family! I do not understand what he means. Is he introducing the Bill in the Parliament of India or in the Parliament of England? In England, the mother is not considered a member of the family. But in our country, the mother is a member of the family. Then what about sisters—widowed sisters? What about sisters' children? What about brothers? They are all members of the family. So the hon. Minister should not think that he is introducing the Bill in the Parliament of England. He is introducing

[Shri P. R. Patel]

the Bill in a country where traditions are very old and family covers so many things.

Lastly, I would make a reference to clause 10(5) which says:

"Where any excess land of a religious or charitable institution vests in the Government..."

So he does not want to exempt the charitable or religious institutions. Lands have been given to charitable institutions—*matts* and *mandirs*—so that they may derive the income from those lands and the temples may be maintained. But he does not like to exempt these even.

I would not like to take more of your time.

श्री बजराज सिंह : सभापति महोदय, मैं इस बिल के सिद्धान्त का और उद्देश्य का स्वागत करता हूं। किन्तु यह पता नहीं लगता कि इस बिल के कानून बन आने के बाद आखिर दिल्ली प्रदेश में कितनी जमीन मिलने वाली है सरकार को, जिसे कि वह बांट सकेगा, या जिससे कि और जिन उद्देश्यों की इस बिल में चर्चा की गई है उनको पूरा किया जा सकेगा।

अच्छा होता कि इस बिल को पेश करने से पहले गृह-मंत्रालय एक इस तरह का नक्शा तैयार कराता जिससे यह पता चलता कि ३० स्टेंडर्ड एकड़ से ज्यादा रखने वाले दिल्ली प्रदेश में कितने काश्तकार हैं और ६० स्टेंडर्ड एकड़ से ज्यादा जमीन रखने वाले कितने काश्तकार हैं। लेकिन गृह-मंत्रालय की तरफ से इस तरह की कोई सूचना सदस्यों को नहीं दी गयी है। जहां तक मुझे पता है, दिल्ली प्रदेश में जिनके पास ३० स्टेंडर्ड एकड़ से ज्यादा जमीन है ऐसे सिर्फ ४२ आदमी हैं। और जिनके पास ६० स्टेंडर्ड एकड़ से ज्यादा जमीन है उनकी संख्या मुश्किल से ६ या सात निकलेगी। जब कुल ६ या ७ आदमी ऐसे हैं जिनके पास ६० एकड़ से ज्यादा जमीन है तो देखना यह होगा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने से या इसको राय मालूम करने के लिए प्रसारित करने से, जैसा कि मेरे मित्र ने सुझाव दिया है कितना उद्देश्य पूरा होने वाला है, क्या मिलने वाला है। मुझे तो लगता है कि इस कानून के द्वारा कम से कम दिल्ली प्रदेश में तो एक एकड़ जमीन भी मिलने वाली नहीं है जिसको ग्राम पंचायत को दिया जा सके या किसी दूसरे को वितरित किया जा सके।

यही प्रश्न नहीं है कि ३० स्टेंडर्ड एकड़ जमीन एक कुटम्ब के पास रहनी चाहिए और अधिक से अधिक ६० एकड़ तक जानी चाहिए, बल्कि इस के साथ यह भी प्रश्न है कि क्लाज २६ में जो अपवाद गिनाये गये हैं, उन के कारण सरकार को एक एकड़ भूमि भी मिलने की सम्भावना नहीं है। इन अपवादों में कहा गया है कि अगर किसी फ़ार्म में हैवी इन्वेस्टमेंट करली गई है, या पर्मानेंट स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स कर लिये गये हैं, तो फिर यह कानून उस पर लागू नहीं होगा और वहां सीमा बांधने का सवाल पैदा नहीं होगा। लेकिन आप सारे बिल को पढ़ जाइये, आप को हैवी इन्वेस्टमेंट की कोई परिभाषा नहीं मिलेगी। उस वक्त के चीफ़ कमिश्नर जैसे चाहें, इस की इन्टरप्रेटेशन—*व्याख्या*—कर सकते हैं। वह एक हजार रुपये को भी हैवी इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं और पचास हजार रुपये को भी मान सकते है। मान लीजिये किसी बड़े किसान के पास ७० एकड़ जमीन है, जिस में से ६० एकड़ तो उस के घर के आदमियों के हिसाब से उस को मिल जायगी और १० एकड़ और रह जाती है। फिर प्रश्न उठेगा कि वहां पर हैवी इन्वेस्टमेंट किया गया है या नहीं। लेकिन इस बिल में हैवी इन्वेस्टमेंट की कहीं भी व्याख्या नहीं की गई है और उस के बारे में यह नहीं बताया कि इस बिल के पास होने के पहले जो हैवी इन्वेस्टमेंट की गई हो, सिर्फ़

उसी को दृष्टि में रखा जायगा । अगर इस कानून के बनने के बाद कोई हैवी इन्वेस्टमेंट की गई हो, तो उस का क्या होगा ? जब यह बिल प्रकाशित होगा, जब यह ऐक्ट बन जायेगा, तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि इस में यह छिद्र है, तो वे इस का फ़ायदा उठाना चाहेंगे और कहीं थोड़ा सा कुछ रख देंगे और कह देंगे कि हैवी इन्वेस्टमेंट किया गया है । वे इस बिल के ऐक्ट बन जाने के बाद दरख्वास्त दे देंगे कि यह धारा हम पर लागू नहीं होती है, क्योंकि हम ने हैवी इन्वेस्टमेंट किया है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हैवी इन्वेस्टमेंट की साफ़ व्याख्या नहीं की जायेगी कि उस के क्या मानी हैं, तब तक एक इंच जमीन भी लेना आसान नहीं होगा ।

यही नहीं, दफ़ा २६ (१) (बी) में कहा गया है :—

"any specialised farm which is being used for cattle breeding, dairy or wool raising."

यह कहीं भी नहीं दिया गया है कि कैटल-ब्रीडिंग के लिए या वूल रेज़िंग के लिए या डेयरी के लिए इस से पहले कोई फ़ार्म इस्तेमाल किया जाता रहा था । सरकारी पार्टी की कान्फ्रेन्स स नागपुर में एक प्रस्ताव पास किया गया और उस के बाद दनादन यह चर्चा चल रही है । मैं नहीं कहता, बल्कि श्री आचार्य विनोबा भावे कहते हैं कि सीमा के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों में जो कानून बनाये जा रहे हैं, उन के द्वारा कहीं भी कोई जमीन मिलने का प्रश्न नहीं उठेगा, क्योंकि सरकार के कानून लचर हैं और उस के पहले ही लोगों ने अपना पूरा इन्तज़ाम कर लिया है अगर किसी के पास साठ एकड़ या तीस स्टेंडर्ड एकड़ से ज्यादा जमीन है, तो अगर वह हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, तो वह वहां डेयरी खोल लेगा और कहेगा कि यहां पर डेयरी है, इसलिए यहां पर यह कानून लागू नहीं होता है । दफ़ा ३ उस पर लागू नहीं होगी और दफा २६ के मातहत उसको अपवाद मिल जायगा ।

इस के बाद कहा गया है—

"any land held by a body notified by the Chief Commissioner under section 33 of the Delhi Land Reforms Act, 195, as in force before such commencement."

इस एक्ट के मुताबिक चीफ़ कमिश्नर साहब कौन सी जमीन को एगज़म्प्ट कर सकते हैं ? मैं कहना चाहता हूं कि वह अपनी इच्छा के मुताबिक किसी भी जमीन को एगजम्प्ट कर सकेंगे और कह सकेंगे कि यह कानून इस पर लागू नहीं होता है ।

जहां तक को-आपरेटिव सोसायटीज का ताल्लुक है, वह तो स्वागत-योग्य बात है, लेकिन जितने अपवाद दिये गये हैं, उन सब का नतीजा यह होगा कि एक एकड़ जमीन भी लैंडलैस पेज़न्ट्स—भूमिहीन किसानों—को या ग्राम पंचायतों को देने के लिए नहीं बचेगी । आखिर क्या उद्देश्य है इस बिल का ? अगर सरकार कोई कानून बनाना चाहती है, तो उस का कोई तो उद्देश्य होना चाहिए । सरकार जनता को यह कह रही है कि वह जमीन का पुनर्वितरण करेगी । प्रश्न यह है कि क्या इस बिल के द्वारा जमीन का पुनर्वितरण हो सकेगा या नहीं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जान बूझ कर गृह मंत्रालय ने हमें इस की सूचना नहीं दी है कि इस बिल के परिणाम-स्वरूप कुछ जमीन मिलेगी या नहीं । मैं साफ़ कहना चाहता हूं कि अगर गृह मंत्री महोदय समझते हैं कि इस बिल के पास होने के बाद कोई जमीन मिलेगी, तो वह हम को बतायें कि कितने एकड़ जमीन सरकार को मिलेगी । मैं विश्वास करता हूं कि इस बिल के पास होने के बाद एक एकड़ जमीन भी नहीं मिल सकेगी ।

सरकार दिल्ली में और सारे मुल्क में जमीन की सीमा बांधने जा रही है । लेकिन प्रश्न यह है कि वह सिर्फ़ जमीन पर ही सीमा क्यों बांधना चाहती है । दिल्ली तो एक ऐसा नगर है, जहां पर आस-पास रहने वाले सारे

[श्री ब्रजराज सिंह]

किसानों की ज़मीनों को हड़पा जा रहा है। उन से कहीं तो कानून बना कर ज़मीन ली गई, कहीं दलाल घूम रहे हैं, कहीं पैसे वाले घूम रहे हैं। उन्होंने कम पैसे से ज़मीन ली और उस को सौ गुना, दो सौ गुना कीमत पर मकान बनाने वालों को बेचा। अगर ज़मीन पर सीलिंग तो हो, लेकिन अगर उस ज़मीन पर कोई कोठी या कारखाना बन जाता है, उस पर सीलिंग न हो, तो जनता पर इस का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मेरे मित्र श्री पटेल ने ठीक कहा है कि इस से गांव वालों पर यह प्रभाव पड़ेगा कि सरकार हमारे ऊपर तो सीमा बांधती है, लेकिन वह शहरों के पूंजीवादी ढंग से रहने वाले लोगों पर, कारखाने वालों पर कोई सीमा नहीं बांधती है। अगर सरकार चाहती है कि सीमा बांधी जाय, तो केवल ज़मीन पर सीमा बांधने से काम नहीं चलेगा। उस से जनता का जीवन सुधर नहीं सकता। जनता के एक वर्ग पर तो सरकार सीमा बांधती है और दूसरे वर्ग को यह इजाज़त देती है कि वे करोड़ों रुपये कमा सकते हैं उन पर कोई सीलिंग नहीं है। इस का नतीजा यह होगा कि जिन लोगों पर सीमा बांधी जायेगी, वे भी बेईमानी करेंगे।

सरकार की ओर से बार बार कहा जाता है कि हम इनकम--आमदनी--पर सीलिंग नहीं बांधते हैं, बल्कि ज़मीन पर बांधते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर ऐसा मान लिया जाय, तो फिर ज़रा शहर में आइये और कहिये कि हम सीलिंग ज़मीन पर बांधते हैं, आमदनी पर नहीं और इसलिए दो मकानों से ज्यादा किसी के पास नहीं होंगे, या दो कारखानों, या एक कारखाने से ज्यादा किसी के पास नहीं रहेगा। दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई इत्यादि बड़े नगरों पर इसको लागू कीजिये। सरकार किसी तो सिद्धान्त का पालन करे। लेकिन सरकार यह कह कर कि इन्टेन्सिव कल्टीवेशन के द्वारा--घनी खेती के द्वारा और ज्यादा पैदा किया जा सकता है, सारे सीमा के सिद्धान्त की हत्या कर देती है। सरकार सिर्फ़ ज़मीन पर सीमा बांध कर स पूरे मसले को हल नहीं कर सकती है। जब यह बिल ज्वायंट कमेटी के पास जा रहा है, तो मैं सरकार और मिनिस्टर महोदय से कहूंगा कि वे इस पर विचार करें कि वे इस बिल के ज़रिये जिस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं, उस की पूर्ति सिर्फ़ ज़मीन पर सीलिंग बांधने से नहीं होगी। हमारे जितने पेशे हैं, जितने व्यापार हैं, तिजारत है, या नौकरियां हैं, उन सब पर सरकार को सीमा बांधनी होगी। यह निश्चय करना पड़ेगा कि इतने से कम किसी आदमी की आमदनी नहीं होगी और इतने से ज्यादा किसी आदमी की नहीं होगी। सरकार मोटे तौर से कह सकती है कि हम एक और दस का फ़र्क रखना चाहते हैं-- अगर १०० रुपये से कम किसी की आमदनी नहीं है, तो १००० रुपये से ज्यादा किसी की नहीं होगी। सरकार की ओर से कहा जाता है कि हमारे सोशलिस्टिक पैटर्न में ऊंची तनख्वाहों को नीचे नहीं लाया जायेगा, नीचे की तनख्वाहों को ऊपर लाया जायेगा। आखिर कोई योजना होनी चाहिए, जिस के अनुसार नीचे दबे हुए, पिसे हुए, शोषित, पीड़ित, दलित लोगों को किसी निर्धारित अवधि के अन्दर ऊपर उठाया जा सकेगा। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की योजनाओं के अनुसार एक हजार सालों में भी नीचे दबे हुए लोगों को ऊपर की आमदनी में नहीं लाया जा सकता है। जब नहीं लाया जा सकता है, तो सरकार को इस तरह की बात निश्चित करनी चाहिए कि दोनों आमदनियों में, छोटों और बड़ों की आमदनी में एक और दस का फ़र्क हो--जब सरकार कम से कम पचास रुपये की आमदनी रखती है, तो पांच सौ रुपये से ज्यादा किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन इस सिद्धान्त को सरकार स्वीकार नहीं करती है। प्रश्न यह है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति सरकार इस बिल के ज़रिये करना चाहती है, उस की पूर्ति अकेले इस बिल के ज़रिये नहीं

होती है । सरकार जमीन पर सीलिंग बांधना चाहती है, लक्ष्य के उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है । उस के लिए सरकार को भूमि के अलावा और जितने साधन हैं, जिन से आमदनी होती है, पैदावार होती है, उत्पादन होता है, उन सब के बारे में सोचना पड़ेगा, चाहे वे कारखाने हों, शहर की जायदाद हो, या नौकरियां हों । मुझे अफ़सोस है कि सरकार उधर नहीं सोच रही है । सरकार को यह कहने में खुशी होती है कि हम शहरों को बढ़ाते जा रहे हैं, यहां कारखाने बढ़े हैं, मकान बढ़े हैं, क्योंकि शहरों में मकानों की बड़ी भारी समस्या है, शहर में मकान नहीं हैं, इसलिए प्राईवेट लोगों को मकान बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है । क्योंकि कारखानों की पैदावार बढ़ती है, इसलिए प्राइवेट लोगों को मौका दें कि वे कारखानों की पैदावार को बढ़ायें । इस योजना के नाम पर कारखानों की पैदावार बढ़ा कर लोगों की आमदनियों बढ़ाई जाती हैं, खास खास लोगों का काम बने, यह देखा जाता है, लोग प्राइवेट तौर पर मकान बनायें और कमा करके ऊंचे किरायों पर उनको उठायें लेकिन जहां तक किसान का सम्बन्ध है, उसके लिए सीलिंग की जाती है । मैं सीलिंग का विरोध नहीं करता हूं, मैं इसका स्वागत करता हूं । लेकिन आप सीलिंग एक वर्ग पर लगायें, एक हिस्से पर लगायें, इस से देश की उन्नति का जो उद्देश्य है, वह कैसे पूरा करने की आप आशा कर सकते हैं, इस से तो लोगों में बेचैनी फैलेगी, लोगों में असन्तोष पैदा होगा, लोगों में गुस्सा पैदा होगा और इसका नतीजा यह होगा कि जिस योजना को आप सफल बनाना चाहते हैं, वह सफल नहीं होगी । मैं समझता हूं कि अकेले भूमि पर सीलिंग लगाने से, अकेले जमीन पर सीमा बांधने से जो आपका ध्येय है, वह पूरा नहीं हो सकता है । इस समय जबकि आप भूमि पर सीमा बांधने जा रहे हैं, इसके साथ ही साथ आप इस सिद्धान्त को भी मानें कि हमें आमदनी पर भी सीमा बांधनी है । वह स्टेटिक न हो, वह अस्थायी हो सकती है । आप आज की रुपये माहवार अगर तय कर देते हैं, उसके बाद मान लीजिये कि कल टैक्नालाजी की जो बात की जाती है, वैज्ञानिक प्रगति की जो बात की जाती है, उसमें विकास हो जाता है और लोगों की आमदनी बढ़ जाती है तो उसको आप बढ़ा कर पांच सौ कर सकते हैं । आप को आज की परिस्थितियों को सोच करके यह काम करना पड़ेगा । प्रधान मंत्री महोदय ने कई बार कहा है कि हम आमदनी को कम नहीं करना चाहते हैं, हम आमदनी पर सीमा बांधना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से लोगों को अधिक काम करने का इंसैंटिव नहीं रहेगा, प्रोत्साहन नहीं रहेगा, ऐसी हालत में आप यह कह सकते हैं कि दो साल के लिए यह सीमा बांधी जा रही है और उसके बाद अगर हालत अच्छी हो जायेगी तो इसको हम ऊंचा बढ़ा देंगे । लेकिन इसको आप नहीं करना चाहते हैं । जिन लोगों के लिए आज सीलिंग बांधी जा रही है उनके दिमागों में यह बात आयेगी कि यह हमारे लिए ही है, उन लोगों के लिए नहीं है, जो समाज में आगे बढ़े हुए हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो सफेद पोश हैं, जो अच्छे अच्छे मकानों में रहते हैं, जो ऊंची ऊंची कोठियों में रहते हैं, जिन को विज्ञान द्वारा प्रदत्त सारी सुविधायें प्राप्त हैं । इसका नतीजा यह होगा कि राष्ट्र का जो निर्माण आप चाहते हैं, देश का जो नव-निर्माण चाहते हैं और उसमें आम जनता का सहयोग चाहते हैं, और चाहते हैं कि जनता में इन कामों के प्रति उत्साह पैदा हो, न तो वह उत्साह पैदा होगा और न ही वह सहयोग आपको प्राप्त हो सकेगा ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जमीन के अलावा जो दूसरे वर्ग हैं, जो दूसरे हिस्से हैं, उन के बारे में भी सीलिंग की बात होनी चाहिए । जहां तक इस कानून में कमियों का सम्बन्ध है, मैं कहूंगा और ज्वायंट कमेटी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर विचार करे कि क्लाज २६ में जो एग्जेम्पशंस दिये गये हैं, जो अपवाद रखे गये हैं, क्या उन अपवादों के रहते कोई ऐसी जमीन दिल्ली में मिल सकती

[श्री ब्रजराज सिंह]

है जो कि वितरित की जा सके या गांव पंचायतों को दी जा सके। मुझे लगता है कि जो अपवाद इस में रखे गये हैं, उन अपवादों के रहते कोई इस तरह की जमीन आपको मिल नहीं सकेगी। ये अपवाद इतने गोल मोल है कि उन पर किसी तरह से भी इंटरप्रेटेशन लगाया जा सकता है, किसी भी तरह से चीफ कमिश्नर द्वारा व्याख्या की जा सकती है, इन अपवादों के रहते किसी भी आदमी को माफ किया जा सकता है और उसको कहा जा सकता है कि तुम्हारी जो जमीन है, वह ली नहीं जायेगी। इसमें कहा गया है कि जिस जमीन पर हैवी इनवेस्टमेंट लगी हुई हो, कैटल ब्रीडिंग के लिए उसका फार्म बना दिया गया हो या इस तरह की कोई दूसरी चीज हो, तो उसको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। यह बहुत गोलमोल चीजें हैं इन को इस तरह से छोड़ा नहीं जा सकता है। इनको इस तरह से आप छोड़ करके यह करेंगे कि जो कानून की भावना है, जो उसका उद्देश्य है, उसका लोग पालन नहीं करेंगे, उसको वे खत्म कर देंगे।

आपको म यह भी बतलाना चाहता हूं कि दिल्ली में जब से इस सीलिंग की चर्चा चली है, तभी से लोगों ने जमीन को या तो किसी के नाम कर दिया है, या बेच दिया है या कुछ और कर दिया है और ऐसा इंतिजाम कर दिया है कि किसी फैमिली के पास ६० एकड़ से अधिक जमीन ही न रहे। इस सब के होते हुए भी अगर आप इस चीज को इस तरह से रखते हैं, गोल मोल रखते हैं, इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं, कि आगे चल कर वे इससे फायदा उठा सकें, तो यह ठीक नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि इस चीज पर ज्वायंट कमेटी अच्छी तरह से विचार करे और इस तरह से देखे कि क्लाज २६ में जो एग्जेम्पशंस दी गई हैं, उनको क्या इस तरह से छोड़ा जा सकता है। अगर आप कानून बनाने जा रहे हैं, तो इस तरह से उसको बनायें जिस से कि आप जो लाभ चाहते हैं, कि जनता को हो, वह उसको मिल सके। मैंने आपको ४२ आदमियों को बतलाया है जिन के पास ३० एकड़ से ऊपर जमीन है और मश्किल से पांच छः आदमी ही ऐसे रह जायेंगे जिन के पास ६० एकड़ से अधिक जमीन रह जायेगी और उनको भी अगर आप इस बात का फायदा पहुंचाना चाहते हैं, कि वे कैटल ब्रीडिंग फार्म बना दें, या हैवी इनवेस्टमेंट की बात आप यहां लगा दें या इसी तरह की कोई दूसरी चीज कर दें कि उनका जो फार्म हैं वह इसमें नहीं आता है, तो यह ठीक बात नहीं होगी और मैं चाहता हूं कि ज्वायंट कमेटी इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे।

जहां तक कुटुम्ब की परिभाषा का ताल्लुक है, इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है। आखिर हम हिन्दुस्तान में रहते हैं, जहां पर हमारे बूढ़े मां बाप भी होते हैं और उनको खानदान से अलग नहीं किया जा सकता है। आप जो परिभाषा करते है उसमें न तो वृद्ध मां और न ही वृद्ध पिता आ सकते हैं उनकी कोई चर्चा आपने नहीं की है। ऐसा भी हो सकता है कि वृद्ध मां हो या वृद्ध पिता हों। अगर किसी काश्तकार ने आज जमीन पैदा की है, उसको पैतृक सम्पत्ति नहीं मिली है, उसके पिता के नाम वह नहीं थी, और उसका पिता उस पर निर्भर करता है, वे इकट्ठे रहते हैं तो पिता का खानदान में नाम नहीं आता है या मा का नहीं आता है तो उनका भरण पोषण नहीं हो सकेगा ऐसी सूरत में मैं ज्वायंट कमेटी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर भी विचार करे और देखे कि हिन्दुस्तान की जो परिस्थितियां हैं उनमें पिता वृद्ध हो या मां वृद्ध हो तो उनको खानदान से अलग न रखा जाए। हिन्दुस्तान की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए जो कुटुम्ब की परिभाषा की गई है, उस पर मैं चाहता हूं कि पुनर्विचार हो।

एक अन्तिम बात कह कर मैं समाप्त करता हूं। इस बिल में यह व्यवस्था की गई है कि इसके पास होने के बाद यहां के जो काश्तकार हैं उनके पास अगर दिल्ली में आठ स्टैंडर्ड एकड़ से कम जमीन रह जाए तो वह न बेच सकेंगे, इससे ज्यादा जितनी जमीन है, उसको ही बेच सकेंगे। इसके पीछे यह उद्देश्य मालूम पड़ता है कि छोटी काश्त न रह जाए, खेती छोटी न हो सके, जिसे कि अनईकोनोमिक होल्डिंग कहा जाता है, अलाभकर जोत कहा जाता है, इस अलाभकर जोत का जहां तक ताल्लुक है, सारे हिन्दुस्तान में अगर आप इसकी जांच पड़ताल करें तो आपको पता चलेगा कि ८६ प्रतिशत ऐसी जोतें हैं, जो अलाभकर हैं, जोकि सवा छः एकड़ से कम बैठती हैं। उनके लिये आप क्या कर रहे हैं। इस चीज को केवल दिल्ली में कर देने से काम नहीं चल सकता है। ऐसे आदमियों को बेचने का अधिकार नहीं रहेगा। जिस तरह से दिल्ली का निर्माण हो रहा है, जिस तरह से दिल्ली का विकास हो रहा है, उसे देखें तो पता चलेगा कि दिल्ली में जमीन की कीमत कुछ बढ़ती जा रही है और उस हिसाब से वह अपनी जमीन की कीमत को नहीं ले सकेगा। ऐसी सूरत में यह अधिकार रहेगा कि उसको एक्वायर किया जा सकता है, हस्तगत किया जा सकता है और उसका उचित मुआवजा नहीं मिल पायेगा। मैं चाहता हूं कि ज्वायंट कमेटी इस पर भी विचार करे कि पुराना जो लैंड रिफार्म्स एक्ट चला आ रहा है, क्या उसमें संशोधन करना मुनासिब होगा? आठ एकड़ से कम कोई खाता न बने, इस तरह की रोक लगाना मुनासिब होगा?

इन शब्दों के साथ मैं ज्वायंट कमेटी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वह देखे कि क्या वह पूरा होता है या नहीं। जो इसमें कमियां रह गई है उनके रहते क्या उद्देश्य पूरा हो सकता है और अगर नहीं हो सकता है तो मैं चाहता हूं कि वह उनको दूर करने का प्रयत्न करे और जो भूमि को वितरित करने का उद्देश्य है, उसको कम से कम कुछ हद तक पूरा करने की कोशिश हो। अच्छा होता कि सीलिंग की जो लिमिट है, जो सीमा है, उसे तीस एकड़ से कम पर लाया जाता, साढ़े बारह एकड़ पर लाया जाता क्योंकि मैं समझता हूं कि तीस एकड़ रख कर आप किन्हीं लोगों को जमीन नहीं दे सकते हैं। जब आप तीस एकड़ पर भी इसको रख रहे हैं तो फिर और जो कमियां रह गई हैं, उन कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए और मैं आशा करता हूं कि ऐसा ज्वायंट कमेटी द्वारा किया जाएगा।

श्री राधा रमण (चांदनी चौक): सभापति महोदय, जो विधेयक इस समय सदन के सामने है और जिसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव किया गया है माननीय मंत्री महोदय की तरफ से, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इसका कारण यह है कि मैंने भी ऐसी ही आशा की थी और इस प्रकार का संशोधन भी सदन के सामने रखा था।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, विधेयक के अन्दर जो मस्विदे है, उसके बारे में चन्द बातें मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। वैसे तो तफसीलन यह विषय जब प्रवर समिति के पास आएगा तो प्रवर समिति के जो सदस्य हैं वे इस पर काफी सोच विचार करेंगे और इसमें इस प्रकार के संशोधन करेंगे जिससे कि जब यह विधेयक वहां से हो कर वापिस सदन में आएगा तो इसमें से वे बहुत सारी त्रुटियां दूर हो जाएंगी जो कि अब दिखाई देती हैं। मैं सदन के माननीय सदस्यों के सामने और मंत्री महोदय के सामने चन्द विचार ऐसे रखना चाहता हूं जो इस समय भी रखे जा सकते है और जिन को कि मैं बहुत जरूरी मानता हूं। उन्हीं को आपके

[श्री राधा रमण]

सामने रखने के लिए मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह बात आज मतभेद की नहीं है और न ही इस पर कोई विवाद हो सकता है कि हमारे देश में जहां तक काश्त की ज़मीन का ताल्लुक है उस पर एक सीमा लगनी चाहिए। भिन्न भिन्न प्रान्तों में यह बात स्वीकार हो चुकी है और वहां पर कुछ इस प्रकार के विधेयक पास हुए हैं और सारे देश में इस पर काफी चर्चा हुई है। पहले प्लान में हमने इसको स्वीकार किया, दूसरे प्लान में हमने इस पर अमल शुरू किया और तीसरे प्लान तक हम यह देख सकेंगे कि हमने जो फैसला किया था उसका क्या नतीजा निकला है, क्या इससे हमारा हित हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि सभी प्रान्तों में सीलिंग होनी चाहिए परन्तु इसके साथ साथ यह बात भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि दिल्ली की अवस्था दूसरे प्रान्तों से भिन्न है, और उसको भिन्न प्रकार से देखा जा सकता है। मैं इससे बिलकुल इत्तिफ़ाक करता हूं कि जो विधेयक आया है उसके फलस्वरूप सरकार को कोई बहुत ज्यादा ज़मीन दिल्ली के आसपास मिलने वाली नहीं है। इसका कारण यह है कि काश्त की ज़मीन बहुत कम है और बहुत थोड़े से परिवार ऐसे रह गए हैं जिन के बारे में यह कहा जा सकता है कि उनके पास तीस एकड़ से अधिक ज़मीन काश्त की है। इस वास्ते यह ख्याल करके कि बहुत ज्यादा ज़मीन सरकार को मिल सकेगी, हमें आगे नहीं चलना है। इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि जब सारे हिन्दुस्तान के लिए कानून बनते हैं और हम एक तरीका रखते हैं तो चाहे कोई छोटा सूबा क्यों न हो या कोई टैरिटरी क्यों न हो—अभी सदन के सामने दो और बिल आए थे, एक त्रिपुरा के बारे में और दूसरा मनीपुर के बारे में, वे इलाके भी कुछ बड़े नहीं हैं और वहां भी कोई बहुत ज्यादा ज़मीन मिलने वाली नहीं है—सब के लिए भी एक सा कानून बनना चाहिए। हम ने एक चीज़ उसूलन मानी और उस का सारे देश में प्रसार और विस्तार करना चाहते हैं तो, अगर एक छोटे से इलाके का जो खास कर राजधानी से ताल्लुक रखता है उसे अलग रखा, यह बात कुछ अपवाद-जनक मालूम होती है और उस के बहुत सारी आपत्तियां हो सकती हैं। इसलिये मैं इस बिल को मुबारकबाद कहता हूं। मैं समझता हूं कि यह बिल आवश्यक था। चन्द महीने हुए हमारे होम मिनिस्टर ने इस बात का इकरार किया था जब सैंड रिफ़ार्म बिल पास किया था कि दिल्ली में भी सीलिंग होगी। जब कभी सीलिंग का सवाल आता है तो हमारे बहुत से समाजवादी भाई इस बात की चर्चा करते हैं कि शहरी आमदनी के ऊपर भी हम को जरूर कुछ सीमा लगानी चाहिये। मैं इस बात का विरोध नहीं करता और मैं यह समझता हूं कि वह ज़माना आने वाला है। अगर हम थोड़ा सब्र से काम लेंगे तो शायद हमारी सरकार, जो आज इस तरफ अपना ध्यान दे रही है, उस पर भी कोई न कोई अमल करेगी। लेकिन अगर इस बात को सामने रख कर हम बहस करने लग जायें कि ३० एकड़ की जो सीमा हम ने वहां रक्खी है, और यह भी स्टैन्डर्ड एकड़ की, उसे नहीं रखना चाहिये था, इसलिये कि हम ने शहर की प्रापर्टी के ऊपर कोई सीमा नहीं रखी है, तो मैं समझता हूं कि वह गलत बात होगी। कारण यह है कि किसी ३० एकड़ से आप ५० मन भी पैदा कर सकते हैं, २० मन भी पैदा कर सकते हैं और १० मन भी पैदा कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर हम वैज्ञानिक ढंग अख्तयार कर लें, जो आधुनिक दुनिया में अख्तयार किये गये हैं, तो इससे भी ज्यादा कर सकें। मैं यह नहीं कहता कि उपज बढ़ ही जायेगी, लेकिन बढ़ सकती है। तो मेरा कहना यह है कि हिन्दुस्तान के अन्दर जो कि एक कृषि प्रधान देश है, और यहां पर लैंडलेस लोग भी बहुत काफी हैं, कुछ

के पास जमीनें हैं और कुछ के पास बिल्कुल नहीं हैं, जब हम समाजवाद की बात करते हैं, तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हमें कितना कदम उठाना है। तमाम देश में मेजारिटि कृषकों की है, जो सब से ज्यादा संख्या में हैं वह किसान हैं, इसलिये पहला कदम इस तरफ उठा। हम ने एक सीलिंग लगाने का फैसला किया। सारे प्रदेशों में हम सीलिंग मुकर्रर करते जा रहे हैं। इस से क्या नतीजा निकलेगा यह तो भविष्य की बात है। मैं समझता हूं कि जो कदम हम उठाते हैं वह अच्छा समझ कर उठाते हैं, उसका नतीजा अच्छा और बुरा दोनों ही हो सकता है। लेकिन अगर हम नेक हैं, ईमानदार हैं, तो इस बिल में ऐसी भावना रखी गई है जिस की बिना पर हम कह सकते हैं कि हम देश में एक रेवोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन वह हम कर सकते हैं जमीनों पर सीलिंग लगाने के बाद। हमें इस बहस से मतलब नहीं कि किस खेत में ज्यादा उपज होती है किस में कम। अगर किसी में ज्यादा उपज होती हैं तो उसे लेने का हमारा ख्याल नहीं है। इसी तरह से अगर शहर के अन्दर एक आदमी के पास दस कारखाने हैं, उस के पास दो या चार मकान हैं तो उस के दोनों या चारों मकानों और कारखानों पर कुछ बन्दिशें लगाई गई हैं। सरकार ने उस की आमदनी पर बन्दिशें लगाई हैं। हमारा कम्पनी ला मौजूद है कारखानों के लिये। यह नहीं है कि हम ने उस की आमदनी को ख्याल में नहीं रखा है या उस को खुली छूट दे रखी है। तो जैसा मैं ने कहा हमारी सरकार जो कदम उठाना चाहती है और उस का जो इरादा है, उस से मुझे इस बात का विश्वास है कि वह दिन जल्द आने वाला है जब शहरी आबादी पर या शहरी प्रापर्टी पर खास तौर पर मकानों पर कोई न कोई सीमा निर्धारित करनी होगी, और मैं समझता हूं कि इस तरफ हमारी सरकार कुछ न कुछ कदम बढ़ाती जा रही है। हो सकता है कि वह और तेजी से बढ़े और इस सदन के अन्दर शायद इस किस्म का बिल आये और गवर्नमेंट का ख्याल ऐसा हो जाय और तमाम देश के अन्दर लोग इस असूल को अपनाने लगें। जो कदम दस बरस बाद उठने वाला हो पांच बरस बाद उठने वाला हो वह तीन या चार बरस में ही उठ जाये तो मैं उसे लब्बयेक कहूंगा। लेकिन यह कहना कि चूंकि सरकार ने फैसला किया है कि जमीनों पर सीमा लगनी चाहिये इसलिये जमीनों पर सीमा लगाने से पहले जो शहर की प्रापर्टी है उस पर सीमा लग जाय, मैं समझता हूं कि यह कोई बहुत ज्यादा मुनासिब बात नहीं है। जैसा मैंने कहा, सरकार ने यह मुनासिब समझा की जमींदारी को खत्म करे, जिन के पास ज्यादा जमीनें हैं उन्हें हर प्रदेश में सीमित करे और उसके बाद जो शहरी आबादी है उसके लिये दूसरा कानून बनाये। जहां तक लैंडलार्डिज्म का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि सरकार उस पर बड़ी गम्भीरता से विचार कर रही है। उस का यह विचार बहुत जल्दी किसी न किसी शक्ल में हमारे सामने आना चाहिये, और मैं यकीन भी करता हूं कि वह आयेगा। जिन लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी प्रापर्टीज हैं, महलात हैं, बहुत बड़े बड़े मकान हैं और उन से हजारों लाखों, रुपये वे कमाते हैं और ऐश व आराम में अपनी जिन्दगी बिताते हैं, उन पर कोई न कोई बन्दिश लगनी चाहिये, और सूनर आर लेटर लगेगी। अभी नहीं लगी तो फिर लगेगी, लेकिन इस का हमें ध्यान रहे कि आप को कदम ब कदम बढ़ना है। अगर आप मानते हैं कि देश में ८० फी सदी काश्तकार हैं, तो पहला कदम इस तरफ उठेगा और पहले उन्हें हमवार करने की कोशिश की जा रही हैं, उस के बाद दूसरा नम्बर शहरों का आयेगा। इस के लिये अगर यह कहा जाये कि सीलिंग लगाना शहरी प्रापर्टी के साथ डिस्क्रिमिनेशन दिखलाना है, तो मैं इस बात को नहीं मानता और समझता हूं कि ऐसा कह कर आप दूसरी शक्ल पैदा करते हैं। जैसा मैंने कहा हमारे मुल्क

[श्री राधा रमण]

के अन्दर जो सीलिंग लग रही है वह प्रोडक्शन पर नहीं है, वह जमीनों के रकबे पर है। अगर हम रकबे को सीमित करते हैं तो इसका मकसद यह है कि हम हिन्दुस्तान के अन्दर ऐसे लोगों को जो जमीन पर अपनी जीविका आधारित करते हैं उन को सहायता देना चाहते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि उसूलन यह बात सही है और जिस प्रकार हम उस पर अमल कर रहे हैं वह सही है। जो लोग यह चाहते हैं कि समाजवाद हिन्दुस्तान में जल्दी आये और तेजी से बढ़े उन को बजाय इस की यह शक्ल रख कर लोगों को कन्फ्यूज करने के हकूमत को इस बात के लिये मुबारकबाद देनी चाहिये और जो भी ऐसे विधेयक आते हैं उन को एक आवाज से लब्बयक कहना चाहिये।

इसके बाद में यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस विधेयक के अन्दर ऐसी कई बातें हैं जिन में संशोधन की आवश्यकता है।

Mr. Chairman: The hon. Member is a member of the Joint Committee. He can speak only in general terms now.

Shri Radha Raman: Sir, I am going to be very brief. Allow me five to ten minutes more because I want to place certain aspects of the Bill before the House.

Mr. Chairman: He can place them before the Joint Committee. There are other hon. Members who are not members of the Joint Committee and who want to participate in this debate.

Shri Radha Raman: But having had the opportunity which you have so kindly given, I think you will allow me five to ten minutes more and then I will have my say in the Joint Committee.

मैं यह अर्ज कर रहा था कि दिल्ली और दूसरे सूबों में थोड़ा सा फर्क है। इस वक्त यहां पर जो जमीनें काश्त के नीचे हैं, मैं समझता हूं कि वे हल्के हल्के शहरी आबादी में शामिल होती जा रही हैं। आखिरकार वह भी अर्बन पापुलेशन में आ कर उस आबादी में शामिल हो जायेंगी जो तेजी से बढ़ रही है। इस लिये जब हम यह बात कहते हैं कि हम उन जमीनों को फैमिली के अन्दर डिवाइड करते हैं और एक फैमिली की व्याख्या करते हैं कि उस में खाविन्द हो, बीवी हो और तीन बच्चे हों, ग्रैंड चिल्ड्रन हों, तो हमें इस बात को देखना होगा कि आया हम इस व्याख्या को कितना वाइड कर दें जिस से शहर दिल्ली के अन्दर इस वक्त जो जमीनें है उन जमीनों से वह लोग जो इस किस्म के टुकड़े कर के उस की तमाम काश्त को जल्दी से जल्दी कम कर सकते हैं और उसको दूसरों के हाथों में दे कर उस से बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, उन को रोका जाय।

मेरे लायक दोस्त ने फरमाया कि हमने शहर के अन्दर जो ८ एकड़ की सीमा रक्खी है वह हमें नहीं रखनी चाहिये। इस का मकसद सिर्फ यह है कि जिन के पास ८ एकड़ जमीन है या उस से कम है वह उसे बेच नहीं सकता। लेकिन अगर ८ एकड़ से ज्यादा उन की जमीन है, या १० एकड़ से ज्यादा है तो उसे बेच सकता है। इस का मतलब यह है कि जिन के पास छोटी होल्डिंग्स हैं अगर वह उनको बेचने लगें तो फिर उन की आजीविका का प्रश्न आजायेगा और अनएम्प्लायमेंट फैलेगा इस से दिक्कत बढ़ जाती है।

इसी तरह से कम्पेन्सेशन का सवाल है, दिल्ली के अन्दर जो कम्पेन्सेशन दिया जा रहा है, मैं उस की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर आप उस का दूसरे सूबों से मुकाबला करें तो यह रिलेटि-

बली बहुत कम है। इस की वजह यह है कि दिल्ली के अन्दर जो कंसालिडेशन हुआ, जो असेसमेंट हुआ वह सन् १९०८ में या १९११ में हुआ था। उस के बाद कोई असेसमेंट नहीं हुआ। इस का नतीजा यह हुआ कि यहां पर जमीन का जो लगान दिया जाता है वह आस पास के दूसरे सूबों के मुकाबिले में बहुत कम है। उस के बेसिस पर कंपेन्सेसन देने का मतलब न देने के बराबर हो जाता है। इस लिये हम जब इन चीजों को देखें तो हम को रियलिस्टिक होने की जरूरत है। अगर हम यह देखें कि गांव वालों पर इस का असर क्या पड़ता है, जिन पर हम इस का असर आज डालने जा रहे हैं, तो मैं अदब से अर्ज करूंगा कि जब हमारे सामने कंपेन्सेसन या फैमिली का जिक्र आया तो हम ने इस बात को खास तौर पर देखा कि हम यहां पर इस की नकल कर रहे हैं कि राजस्थान में क्या हो रहा है, यू०पी० में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है। लेकिन हमें असल में देखना यह है कि जब हम सीलिंग का एक प्रिंसिपल ऐडाप्ट करते हैं तो जिन भाइयों को हिफाजत की जरूरत है उनको हम क्या हिफाजत दे सकते हैं और इस सीलिंग को लगा कर सरकार जनता को क्या फायदा पहुंचाती है।

Dr. M. S. Aney (Nagpur): Why the settlement was not done for such a long period? I just wanted to know for information.

Shri Radha Raman: That is a question which can be answered only by Government. I am giving the facts.

दी फैक्ट इज कि यहां पर जितना भी मुआविजा दिया गया है वह उस जमीन पर दिया गया है। अब बराबर की गाजियाबाद की या पंजाब की जमीनों के मुआवजे का मुकाबला करें तो उस से जमीन को शायद यहां दस गुना कम पायेंगे इसलिए इस तरह की बेसिस रखना तो मैं समझता हूं कि जो आप यहां की जमीनों के वास्ते मुआविजा देंगे वह इतना थोड़ा होगा कि वह बिल्कुल ही नेगलेजेबुल होगा और अनजस्ट और अनफेयर मालूम होगा। मैं समझता हूं कि इस पर खास ध्यान रखने की जरूरत है और मुझे भरोसा है कि प्रवर समिति इस बात पर ध्यान रक्खेगी।

फिर यहां पर मोर्टगेज के बारे में भी जिक्र है। दिल्ली के आस पास की बहुत सी ज़मीनें ऐसी हैं जिनको कि काश्तकारों ने रेहन रक्खा है और जमीनों पर उन्होंने काफी रुपया लिया है। अगर मान लिया जाय कि १००० एकड़ की एक ज़मीन है और काश्तकार ने उसको रेहन रख कर १०, १२ हजार रुपये ले रक्खे हैं अब अगर आप चाहते हैं कि वह जमीन अब उससे ले ली जाय तो जो ऐक्सट्रा हो उसकी बेसिस पर उस जमीन के मुताबिक उसको रुपया दिया जाय तो मैं समझता हूं कि रेहनदारी एक मुसीबत हो जायेगी। इसलिए सभापति महोदय, निहायत अदब के साथ मेरा यह कहना है कि मैं इस बिल का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि इस उसूल को जो तमाम देश के अन्दर लगाया जा रहा है और जिसको कि मैं एक बहुत पायेदार वसूल समझता हूं और मुनासिब वसूल समझता हूं, उस वसूल को दिल्ली के इलाके पर लागू किया जाय। मैं मानता हूं कि वह उसूल मुनासिब है लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि इसको बिल्कुल नकल करके जैसे कि आप दूसरे सूबों के मुताबिक उसको करते हैं वैसा न करें और यहां दिल्ली के जो हालात हैं और दिल्ली के आसपास और गिर्दोनवा के हालात है और जो काश्तकारों के हालात हैं उनको ध्यान में रख कर इसको करें। यह बात मैं बिल्कुल मानता हूं कि हमें यह भी देखना चाहिए कि इस बिल को लागू करने के बाद हम कितनी जमीन लोगों से हासिल कर सकते हैं और उनका किस तरह से इंतजाम होना है। आज सूरत यह है कि एक जमीन जो कि गवर्नमेंट के पास आती है उसका इंतजाम कभी कभी एक इंडिविजुअल के पास से भी ज्यादा खराब हो जाता है।

[श्री राधा रमण]

16·48 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

माननीय दातार साहब ने जो इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव किया है वह सर्वथा उचित है और उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और मैं आशा करता हूं कि जब यह बिल प्रवर समिति से गुजर कर फिर यहां हाउस में आयेगा तो उसमें वे तमाम संशोधन जो कि दिल्ली के खास हालात को देखते हुए करने जरूरी होंगे वे उसमें कर दिये गये होंगे और दिल्ली वालों को जो इससे नतीजा निकलने की आशा है वह निकल पायेगा और यह बिल ऐसा नहीं होगा जो कि सिर्फ एक कागज तक ही महदूद हो कर रह जाय और इसके अमल में देखा जाये तो हमारे हाथ में न तो कुछ जमीन आये और न आम लोगों को कुछ फायदा ही पहुंचे और वे बिलकुल एक मुसीबत और तरद्दुद का कारण बन कर रह जाय। इस बिल को प्रवर समिति को भेजने की सिफारिश करते हुए मैं उप गृह मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इसको पास करने में जल्दी न करें और इस बारे में अच्छी तरह से छानबीन करके ही यहां वापिस लायें। अब दिल्ली एक छोटी सी १५, २० मील की टैरिटरी है जिसके चारों तरफ गिरदोनवां हैं वह भी हल्के हल्के अरबन बनते जा रहे हैं और तमाम काश्त की जमीनें बिकती जा रही हैं और शायद १०, १५ वर्ष के अन्दर दिल्ली के आसपास कोई काश्त की जमीन रहने वाली नहीं है इसलिए इन हालात को देखकर ही उसका फैसला किया जावे।

Some Hon. Members *rose*—

Ch. Ranbir Singh *rose*—

Mr. Deputy-Speaker: We have had three Bills of the same nature. The hon. Member has spoken on one of them.

Ch. Ranbir Singh: This Bill relating to Delhi is much more important for me as Delhi is much nearer to Rohtak.

Shri Datar: May I submit that this motion should be passed today, if possible, because tomorrow there is going to be the food debate and this motion has to be passed in the other House also. We may sit for half an hour more today and finish this.

Shri Amjad Ali (Dhubri): Five hours have been allotted for this.

Shri Datar: The original idea was that there would be no reference to a Joint Committee. That was why they fixed five hours.

Shri Amjad Ali: There has been no change in the timing.

Shri Datar: There is a change.

Mr. Deputy-Speaker: Shri Naval Prabhakar is a member of the Joint Committee. Ch. Ranbir Singh has spoken on one of the Bills. So, I have to call either Pandit Jyotishi or the hon. Lady Member. I will call the hon. Lady Member.

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां): उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का मेरे निर्वाचन क्षेत्र पर खास असर पड़ने वाला है इसलिए मुझे बोलने का अवश्य अवसर दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है लेकिन यह तो सेलेक्ट कमेटी को जा रहा है और गालिबन आप भी उसमें होंगे और ज्यादा अच्छा होगा अगर वहां से वापिसी पर आप इस के बारे में कहें लेकिन अगर आप इस पर बोलना ही चाहते हैं तो मैं आपको इंकार नहीं करूंगा और मैं आपको जरूर कुछ समय दूंगा।

चौ० रणबीर सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बुलाया गया था। आई वाज़ फर्स्ट आई रोज़। मुझे तो इजाजत होनी ही चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : किसने बुलाया ?

चौ० रणबीर सिंह : मैंने शुरू कर दिया था. . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : अपने आप ही बुलाना शुरू कर दिया ।

चौ० रणबीर सिंह : चेयरमैन साहब ने मेरा नाम ले दिया था जब कि अभी श्री राधा रमण बीच में ही थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले तो मुझे लेडी मेम्बर को बुलाना है और फिर श्री नवल प्रभाकर भी हैं जो कि कुछ समय अवश्य चाहते हैं । श्रीमती लक्ष्मीबाई मुख्तसिर में अपनी बात कह डालें ।

श्रीमती लक्ष्मीबाई (विकाराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने मझे कृपा करके इस बिल पर थोड़ा निवेदन करने का अवसर दिया ।

अभी इस बिल के पहले जो हाउस में मनिपुर लेंड रेवेन्यू एंड लेंड रिफार्म्स बिल चल रहा था और उस के सम्बन्ध में बोलते हुए जो श्री नागी रेड्डी ने कहा था कि उनकी वजह से हैदराबाद में लेंड रिफार्म्स आये थे, वह गलत बात कही थी और मैं इस समय उसके जवाब में बोल रही हूं कि जो उन्होंने फरमाया था वह सही नहीं था ।

अभी श्री राधा रमण ने जो यह कहा कि चूंकि यहां इस देश में ८० फीसदी किसान बसते हैं इसलिए पहले यह लेंड रिफार्म्स और सीलिंग वगैरह आप उन ८० फीसदी मेजारिटी के लिए ले आइये बाद में अरबन लोगों के लिए इसको लाइयेगा तो यह उन्होंने गलत बात कही है । प्रापरटी के ऊपर कोई सीलिंग नहीं, मकान के ऊपर कोई सीलिंग नहीं फिर अकेले किसानों के ऊपर ही कोई सीलिंग लगाना अनुचित बात है । माइनारिटी के ऊपर भी इसको लगना चाहिए और मेजारिटी के ऊपर ही इसका धक्का नहीं लगाना चाहिए ।

मुझे यह भी कहना है कि सेलेक्ट कमेटी में ऐसे लोगों को रखा गया है जो कि जमीन के बारे में कुछ विशेष जानते नहीं हैं । अगले १० या २० सालों में जैसे हालात हैं उनको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि दिल्ली की आबादी और अधिक बढ़ जायगी क्योंकि यह रोजबरोज बढ़ती ही जा रही है और वह तमाम काश्त की जमीन धीरे धीरे खत्म होती जायगी और खेती की जमीनें बिक कर वे रिहायशी क्षेत्र हो जायेंगे और उन पर मकान बन जायेंगे और आप को अरबन लोगों पर सीलिंग लगाने की बात सोचनी चाहिए लेकिन यह जो आप उन बेचारे किसानों के छोटे छोटे टुकड़ों की सीलिंग करने की बात करते हैं तो यह दुःख का विषय है और मैं समझती हूं कि अगर यह बात दिल्ली के चारों तरफ इलाकों में बसे किसान सुनें कि अकेले उन के लेंड पर ही सीलिंग करने का प्रस्ताव किया जा रहा है और अरबन प्रापरटी को टच नहीं किया जा रहा है तो वह रो पड़ेंगे । जमीन जो होती है वह धरती माता होती है लेकिन हम देखते हैं कि दिल्ली के इर्द गिर्द २०, ३० मील तक किस तरह से काश्त की जमीनों को खराब किया जा रहा है और उनको मकान आदि बनाने के मकसद से खत्म किया जा रहा है और उसका नतीजा हम देख ही रहे हैं कि यहां दिल्ली में खाने वाले तो बहुत हैं और रोजाना बढ़ते जा रहे हैं लेकिन यहां पर चावल और गेहूं आदि की कमी महसूस की जा रही है और पर्याप्त पैदा नहीं किया जा रहा है ।

इसके अलावा उसमें हम बेसिक होल्डिंग भी रक्खेंगे । हैदराबाद में हमारी जमीन खराब जमीन होती थी और ८०० एकड़ एक फैमिली की बेसिक होल्डिंग थी और उसमें से साढ़े चार गुना हमने सीलिंग रक्खी थी । अब दस साल के बाद उनका मशविरा यह है कि सेलेक्ट कमेटी में राय देंगे कि दस साल के बाद काफी जमीन पर काश्त नहीं करेंगे और इसलिए दस साल के बाद इस कानून का विशेष असर काश्तकारों पर नहीं पड़ने

[श्रीमती लक्ष्मीबाई]

जाता है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। उन्होंने यह भी कहा कि काश्तकार अपनी अपनी जमीनें बेच कर हजारों रुपया कमाते है और जैसी हालत है उसको देखते हुए दस साल के बाद यह सारे रिहायशी क्षेत्र हो जायेंगे और मकान बनाने के काम में आयेगी और इस वास्ते कुछ भी रक्खें, ऐसा उनका कहना ठीक नहीं है। एक एम० पी० होने के नाते मुझे भी थोड़ा सा लैंड के बारे में तजुर्बा है और मेरा निवेदन है कि हमें तमाम चीजों पर और इसका ध्यान रखते हुए कि हम काश्तकारों के साथ अनुचित सख्ती न करें, हम इस बिल को उचित रूप से संशोधित करते हुए अमल में लाने का प्रयत्न करें। आनरेबिल मिनिस्टर यहां बैठे हैं, दातार साहब, उनको तजर्बा है। वह बम्बई से आते है और उनको जमीन के बारे में मालूम है।

इस बिल में कम्पेन्सेशन देने की बात रखी गयी है कि ड्राई लैंड के लिए रेवेन्यू का दस गुना और वेट लैंड के लिए बीस गुना दिया आएगा। अब ड्राई लैंड का रेवेन्यू आठ आना है और वेट लैंड का १८ रुपया है। इसके ही हिसाब से कम्पेन्सेशन दिया जाएगा। पुराने जमाने में अगर वेट लैंड खरीदा जाता तो जितना २५० रुपए में आता उतना अब दो हजार रुपए में मिलता है, और ड्राई लैंड का दाम जो पहले बहुत कम होता था अब उतने ही लैंड का दाम ५०० रुपया है। आप देखें कि अवस्था यह है कि आज किसान का लड़का पढ़ नहीं सकता, खा नहीं सकता, स्कूल नहीं जा सकता ? आराम नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यापारी लोग हैं वह हजारों रुपया कमा सकते हैं और हजारों रुपया खर्च कर सकते हैं, उनके लड़के पढ़ने के लिए इंगलैंड जा सकते हैं। यह सब काम मैजारिटी पर दबाव डाल कर हो रहा है। सिलेक्ट कमेटी के जो मेम्बर हैं उनको सोचना चाहिए कि किसान की हालत कैसी है, उनको किसान के हितों को देखना चाहिए। किसान के लिए कोई आराम नहीं है, उसके लिए कोई हालीडे नहीं है और उसको कितना मुश्किल काम करना पड़ता है। किसान को अपनी बीबी का मंगल सूत्र तक उतार कर रेवेन्यू देना पड़ता है। अनावृष्टि का उस पर असर पड़ता है, रोग के कारण उस को कष्ट होता है। अब आप उसकी जमीन और धन्धा लेना चाहते हैं। ऐसा करने का आपको क्या हक है।

मेरा सुझाव है कि आपको सिलेक्ट कमेटी में किसानों के रिप्रेजेंटेटिव्ज को रखना चाहिए जो कि किसानों की बात को ठीक तरह से जानते हैं। जिनको जमीन की जानकारी हो उनको सिलेक्ट कमेटी में रखना चाहिए। मैं चाहती हूं कि मेरा यह प्वाइंट रिकार्ड कर लिया जाए कि सिलेक्ट कमेटी में किसानों के रिप्रेजेन्टेटिव बहुत कम हैं। ऐसे लोगों को सिलेक्ट कमेटी में लेना चाहिए जो उनके बारे में बोल सकें। दातार साहब तो उनके बारे में जानते हैं। उनको तो मैं एक किसान ही समझती हूं। हमें दिल्ली में किसी को मार कर दूसरे को नहीं बनाना है। अगर मां के एक बच्चा मोटा होता है एक दुबला, तो मां मोटे बच्चे को काट कर दुबले बच्चे को नहीं लगा देती। वह दोनों बच्चों को बराबर रखती है। हमें न किसानों को काट कर अमीरों को बढ़ाना है और न अमीरों को काट कर किसानों को बढ़ाना है। इस बिल से यह काम नहीं हो सकता। इसलिए हमको बहुत सोच कर बिल लाना चाहिए। जल्दी नहीं करनी चाहिए। हमको यह रिफार्म सोचकर लाना चाहिए। सिलेक्ट कमेटी में किसानों की बात कहने वाले मेम्बर होने चाहिएं। सैंकड़ों हजारों वर्ष से किसान मर रहे हैं, उनके पास कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है। हमने देखा कि जी आइजनहावर आए तो उनके बैठने का सलीका नहीं था।

कहा जाता है कि दस साल में दिल्ली नगर बहुत बढ़ने वाला है इसलिए एक एकड़

रखो, दो एकड़ रखो, यह ठीक नहीं है । सिलेक्ट कमेटी में जमीन के बारे में जानने वाले नहीं हैं । उसमें जमीन के बारे में जानने वालों को रखना चाहिए ।

17 hrs.

Shri Naval Prabhakar and Ch. Ranbir Singh *rose*—

Shrimati Renu Chakravartty (Basirhat): May I submit that there is hardly quorum.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): It is a very important Bill.

Mr. Chairman: If you want the House to be adjourned, I accept that. It is five o'clock now. So, the House stands adjourned.

17.01 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, December 16, 1959/ Agrahayana 25, 1881 (*Saka*).